न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद जिला – प्रतापगढ

निर्णय बइजलास – श्री प्रकाशचन्द्र रेगर (R.A.S) पीठासीन अधिकारी

प्रकरण संख्या :– 81 / 209 दायर दिनांक :–30.12.2019

निर्णय दिनांक :–25.09.2020

अनवान

श्री शंकरलाल पिता देवला जी जाति भील निवासी धावडारूण्डी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ (राज0) – प्रार्थी

बनाम

1. श्री कालु पिता देवला जाति भील निवासी धावडारूण्डी
2. श्री मोहन पिता देवला जाति भील निवासी धावडारूण्डी
3. श्री सजना बेवा देवला जाति भील निवासी धावडारूण्डी
4. तहसीलदार अरनोद – विपक्षी गण

उपस्थितः–

विद्ववान अधिवक्ता – श्री सत्यनारायण बोहरा वकील प्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले0 रे0 एक्ट

–:: निर्णय :–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मोठिया पटवार हल्का बडीसाखथली में प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की सयुक्त आराजीयात खाता संख्या 25 खसरा न0 1094 रकबा 0.44 है0, 1150 रकबा 0.50 है0, 1155 रकबा 0.77 है0 एवं 1156 रकबा 0.52 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.23 है0 हो कर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी का नाम सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में नाम शंकरलाल की जगह संकरिया दर्ज रिकार्ड हो गया है। प्रार्थी का अन्य सरकारी रिकार्ड राशन कार्ड,बैक पास बुक इत्यादि मे शंकरलाल ही दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड संकरिया होने से सरकारी गैर सरकारी योजनाओ मे बैंक आदि से ऋण लेने मे काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

अतः प्रकरण न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार का होने से निवेदन है कि प्रार्थी का नाम सकरिया की जगह शंकरलाल करवा राजस्व रिकार्ड मे अमल करवाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये संमन तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 3 की ओर से 30.06.2020 को एवं 10.09.2020 को तहसीलदार अरनोद का जवाब पेश हुआ जो शामिल मिसल है ।

प्रार्थना पत्र पर विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी जा कर पत्रावली वास्ते आदेश मुकर्रर की गई।

प्रार्थना पत्र व जवाबो के अध्ययन से जाहिर है कि अप्रार्थी सख्याा 1 से 3 व 4 ने प्रार्थी का नाम संकरिया की जगह शंकरलाल दर्ज करने की सहमति/अनुशषा की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया एवं बहस विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया ।

विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अकिंत तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि की प्रार्थी का बोलता नाम संकरिया राजस्व रिकार्ड मे अमल हो गया जबकि सही नाम शंकरलाल है। राजस्व रिकार्ड व सरकारी दस्तावेजो मे नाम मे भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को बैंक से ऋण इत्यादि लेने मे समस्याओ का सामना करना पड रहा है। अतः न्यायालय से दरख्वास्त हे कि प्रार्थी का नाम संकरिया के बजाय शंकरलाल करने का आदेश फरमावें।

कियात्मक आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी का नाम संकरिया पिता देवला की जगह शंकरलाल पिता देवला करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अरनोद को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा को पेश करे। पत्रावली फैशल शुमार हो नम्बर से कंम की जा कर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे लिख जा कर सुनाया गया।

25.9.XX

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद